प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या
समस्त राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं
वित्तविहीन मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, जनपद–इलाहाबाद।

पत्रांक/ 7815-17 /2017–18 दिनांक : 23.8.2017

विषय :24 जनवरी को **"उत्तर प्रदेश दिवस"** मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि सामान्य प्रशासन विभाग के शासनादेश संख्या–993/।।।–10(12)–1947, 06.02.1950 के अनुसार पूर्व में प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्राविन्सेन्स था, जिसे गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट, 1935 के तहत दिनांक 24 जनवरी, 1950 को परिवर्तित कर **उत्तर प्रदेश** किया गया था, जो गजेट ऑफ इण्डिया एक्स्ट्रार्डिनरी में दिनांक 24 जनवरी, 1950 को प्रकाशित हुआ। इस प्रकार से प्रदेश का नामकरण उत्तर प्रदेश दिनांक 24 जनवरी, 1950 से प्रभावी हुआ है।

24 जनवरी को **"उत्तर प्रदेश दिवस"** के रूप में मनाये जाने हेतु शिक्षा निदेशक(मा0) के पत्रांक सामान्य(2)/589–684/2017–18 दिनांक 08.08.2017 एवं संयुक्त शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद के पत्रांक/एल0टी0/5618–23/2017–18 दिनांक 18.08.2017 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 24 जनवरी, 2018 को **उत्तर प्रदेश दिवस** के रूप में मनाये जाने हेतु प्रदेश के जिन सपूतों का देश की आजादी में योगदान रहा है, उसे प्रचारित–प्रसारित किया जाये, साथ ही प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर एवं विविधता को भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाये तथा नई पीढ़ी को प्रदेश के नये विकास एवं परिवेश से जोड़ने के कार्यक्रम आयोजित कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

24.8.17

(आर0एन0विश्वकर्मा)
जिला विद्यालय निरीक्षक
इलाहाबाद

पृष्ठांकन/ /2017–18 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– शिक्षा निदेशक(मा0) उत्तर प्रदेश शिक्षा सामान्य(2) अनुभाग, इलाहाबाद।
2– संयुक्त शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।

(आर0एन0विश्वकर्मा)
जिला विद्यालय निरीक्षक
इलाहाबाद